निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या -**74** वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, 12वां वृत, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, 12वां वृत, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी के माह 05/2015 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री राजेश कुमार सन्हा, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारी तथा श्री सत्यवीर संह, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 15/01/2018 से 18/01/2018 तक में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः

1. इस कार्यालय की वगत लेखापरीक्षा श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, श्री दिनेश कुमार, पर्यवेक्षक एवं श्री शेखर वर्मा, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 16/05/2015 से 21/05/2015 तक में सम्पन्न हुई थी जिसमें कार्यालय के माह 08/2012 से 04/2015 तक के लेखा भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2015 से 12/2017 तक के लेखा भलेखों की सामान्यतया जांच की गयी।
2. इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः लोक निर्माण वभाग जिला पौड़ी, गोपेश्वर, एवं रुद्रप्रयाग के अंतर्गत आने वाले मार्गो का निर्माण कार्य का अनुश्रवण का कार्य।
3. वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

क्रम संख्या	वर्ष	मुख्य लेखा शीर्ष	कुल आवंटन	कुल व्यय
1.	2014-15	2059-80-001-03-00	81.39	79.44
2.	2015-16	2059-80-001-03-00	87.04	85.87
3.	2016-17	2059-80-001-03-00	98.10	95.97
4.	2017-18 (12/2018 तक	2059-80-001-03-00	97.23	86.97

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय	अ धक्य (+) `बचत (-) `
2014-15		शून्य			
2015-16					
2016-17					
2017-18 (12/2018 तक					

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य शासन द्वारा कया जाता है। इकाई में मुख्यतः स्थापना व्यय है एवं इकाई -स श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष,लोक निर्माण वभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून

क्षेत्रीय मुख्य अ भयन्ता स्तर-1, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी

कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, 12वां वृत, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, 12वां वृत, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, 12वां वृत, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह अगस्त 2017 एवं नवम्बर 2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग-II (ब)

प्रस्तर (1):- सक्षम अ धकारी से प्रा व धकी स्वीकृति प्राप्त नहीं कए जाने के साथ कार्य समापन में देरी होना

शासनादेश संख्या 337/ III(2) /09-53 (प्रा0आ0)/ 09 दिनांक 12.03 2010 के द्वारा वकासखंड बीरोंखाल में न्याय पंचायत कोट मुख्यलय को मोटर मार्ग से जोड़ने के लए 4.00 कमी लंबी मार्ग के निर्माण के लए `140.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस कार्य के लए वत्तीय स्वीकृति के लगभग पाँच वर्ष (चार वर्ष 11 माह) के पश्चात अ धशासी अ भयंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण वभाग, बैजरो पौड़ी के कार्यालय ज्ञाप संख्या-154/18-सी दिनांक 13 फ़रवरी 2015 के द्वारा `75.00 लाख प्रा व धकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। मार्ग का निर्माण कए जाने के लए खंड के द्वारा तीन अनुबंध गठित कए गए थे जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समापन की ति थ 23 अप्रैल 2015 एव 29 जुलाई 2017 थी। वर्तमान में कार्य पर `136.47 लाख रा श व्यय की जा चुकी है।

वश्लेषण से यह ज्ञात होता है क कार्य के प्रा व धकी स्वीकृति का संज्ञान सक्षम उच्च धकारियों द्वारा नहीं प्राप्त की गयी थी और उच्च धकारियों के स्वीकृति को avoid करने के लए अ धशासी अ भयंता के द्वारा आं शक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जब क वत्तीय रूप से स्वीकृत रा श (`140.00 लाख) के अनुसार कार्य की प्रा व धकी स्वीकृति अधीक्षण अ भयन्ता के अ धकारी के स्तर से प्रदान की जानी चाहिए थी। पुनः वर्तमान में कार्य पर व्यय की गयी रा श भी प्रा व धकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत रा श से `61.47 लाख (`136.47 लाख-`75.00 लाख) अ धक है। उक्त तीनों अनुबन्धो के द्वारा निरीक्षण की ति थ (09 फ़रवरी 2017) तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ था जब क सभी कार्य 22 जनवरी 2016 से 29 जुलाई 2017 के मध्य पूर्ण हो जाना चाहिए था। इस प्रकार, कार्य के प्रदान की गयी आं शक प्रा व धकी स्वीकृति ना सर्फ नियम के प्रतिकूल है बल्कि कार्य वत्तीय स्वीकृति दिनांक 12 मार्च 2010 के सात वर्ष बीत जाने के बाद भी अपूर्ण थी।

उपरोक्त को इं गत कए जाने पर वृत के द्वारा बतलाया गया क भू म उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य की प्रा व धकी स्वीकृति प्रदान कए जाने में देरी हुई थी। बिना उच्च धकारियों के संज्ञान में लाये अ धशासी अ भयन्ता के स्तर के अ धकारी से प्रा व धकी स्वीकृति के संबंध में बतलाया गया क मार्ग निर्माण में शीघ्रता लाने के उद्देश्य से प्रा व धकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी और इस संबंध में खंड को पूर्ण स्वीकृति प्राप्त कए जाने के लए निर्दे शत कया गया है।

वृत का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क अधीक्षण अ भयन्ता वत्तीय हस्त पुस्तिका (vol-vi) के नियम-71 के अनुसार खंड के कार्य को निरीक्षण के लए ज़िम्मेवार होते है। पुनः कार्य में जिस शीघ्रता को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रा व धकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी वह भी प्राप्त नहीं की जा सकी थी। अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

C-- SUPERINTENDING ENGINEER

70. The Superintending Engineer will inspect the state of the various works within his circle and satisfy himself that the system of management prevailing is efficient and economical, that different articles in stock are duly verified according to the rules laid down, and that there is no accumulation of stock in any division beyond its requirements.

71. He will also inspect the divisional offices under him at least once a year, and will forward for the information of the Chief Engineer reports of his inspections in the prescribed form, detailing therein the result of his examination of initial accounts, accounts of stock, tools and plant and stock manufacture, register of works, and other divisional accounts and papers, mode of preparation of estimates, contract agreements, contractor's accounts, revenue registers and office work generally.

72. He will further see that the authorized system of accounts is maintained throughout his circle and examine the books of divisional officers and their subordinates, and see that matters relating to the primary accounts are attended to personally by the divisional and sub-divisional officers, and that the accounts fairly represent the progress of each work. He will examine the register of works so as to keep a vigilant watch over the rates of work, and when he considers it necessary, he may require a divisional officer to report to him monthly or at longer intervals on a works slip in form no. 39 the total expenditure to date under each sub-head of work, in contrast with the sanctioned estimate. It will thus been seen that it rests with the Superintending engineer to investigate excesses over sub heads with a view to decide whether or not a revised estimate will be required for the work. When a revised estimate is required it will also devolve on the superintending engineer to see that it is submitted in due time to the sanctioning authority, vide paragraphs 79 and 395. He is also responsible that no delay is allowed to occur in the submission of completion reports.

73. The supervision and control or assessment of revenue from irrigation nd navigation works within his circle will rest with the superintending engineer.

भाग-II (ब)

प्रस्तर (**2**):- पर्याप्त योजना एवं अनुश्रवण के अभाव में मार्ग-निर्माण के लागत में वृद् धः-`62.76लाख

शासनादेश संख्या 3138/II (2)/06-61 (प्रा0आ0)/ 06 दिनांक 22 नवम्बर 2006 के द्वारा 15.00 कमी लंबी कोटमल्ला से कोटतल्ला कं डया कुलासु रीठाखाल मार्ग के निर्माण के साथ 48 मीटर स्पान के सेतु का निर्माण के लए `337.57 लाख की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस कार्य के लए मुख्य अ भयंता (स्तर-1), गढ़वाल क्षेत्र, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी के कार्यालया ज्ञाप संख्या 3625/36(414)/यता-पर्व0/07 दिनांक 31 जुलाई 2007 के द्वारा 14.50 कलोमीटर में मार्ग के निर्माण के लए `210.13 लाख की प्रा व धकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस प्रा व धकी स्वीकृति में सेतु निर्माण हेतु आवंटित रा श `122.33 लाख की रा श शा मल नहीं थी जिसे रोक रखा गया था।

कार्यालय अधीक्षण अ भयंता, 12वां वृत, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी के पत्रांक 846/31एम (1)/रा0मा0-10/16 दिनांक 06 मार्च 2017 से ज्ञात होता है क मार्ग की वास्त वक लंबाई 14.650 कलोमीटर थी और मार्ग पूर्वी नयार नदी को जोड़ती थी। पूर्वी नयार नदी के दायी ओर कोट मल्ला एवं कोट नल्ला थी जिसकी लंबाई 08 कलोमीटर थी जब क नदी के बाई ओर रीठा खाल जिसकी लंबाई 06 कलोमीटर थी। नदी के बाई ओर रीठा खाल जिसकी लंबाई 06 कलोमीटर थी का निर्माण प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी द्वारा कया गया था और मार्ग को अगस्त 2014 में निर्माण खण्ड पौड़ी को हस्तांतरित कर दिया गया था। परंतु मार्ग पर अभी भी 1.5 कलोमीटर के लंबाई में मार्ग का निर्माण कया जाना शेष है जिसकी स्वीकृति जिला योजना के अंतर्गत जिला धकारी, पौड़ी के पत्रांक 1058/जि0यो0/लो0नि0 व0/2016-17 दिनांक 31.03.2016 के द्वारा प्रदान कर दी गयी थी। निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार मार्ग पर जब तक सेतु का निर्माण नहीं कया जाता है तब तक मार्ग का पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त कया जा सकता है जब क मार्ग पर वर्तमान में `272.89 लाख की रा श व्यय हो चुकी है जो क तकनीकी रूप से स्वीकृत रा श 210.13 लाख से `62.76 लाख (29.86 प्रतिशत) अ धक है।

उपरोक्त को इं गत कए जाने पर वृत के द्वारा बतलाया गया क भू-ग र्भय वैज्ञानिक के द्वारा कए गए सर्वेक्षण के अनुसार मार्ग पर 60 मीटर स्पान के सेतु की आवश्यकता है और इसके लए आगणन तैयार की जा रही है जिसकी संभा वत लागत `717.00 लाख है। पुनः यह भी अवगत कराया

गया क सेतु के स्पान का वास्त वक आकलन नहीं होने के कारण सेतु की प्रा व धकी स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी थी।

वृत का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क मार्ग के साथ साथ सेतु के निर्माण में न केवल योजना का अभाव था बल्कि इसके लए आवश्यक अनुश्रवण भी नहीं कया गया था जिसके कारण न सर्फ मार्ग मार्ग के निर्माण अबतक `62.76 लाख (29.86 प्रतिशत) अ धक cost-escalation हो चुका है बल्कि सेतु के संभा वत लागत में भी छह गुना वृद् ध की संभावना है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः1- अधीक्षण अ भयंता स्तर से गठित अनुबन्धो के द्वारा कार्य समापन में देरी।

कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता,12 वां वृत, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी द्वारा संधारित की जा रही अनुबंध पंजिका से ज्ञात होता है क वर्ष 2013-14 से 2017-18 के मध्य कुल 71 अनुबंध का गठन अधीक्षण अ भयन्ता,12 वां वृत, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी के स्तर से संपादित की गयी थी और कुल 54 अनुबंध के द्वारा कार्य जुलाई 2017 या इससे पूर्व संपादित हो जाना चाहिए था परन्तु केवल 25 अनुबन्ध के द्वारा ही कार्य पूर्ण कराया जा सका था जिनका ववरण नीचे सारणीबद्ध है।

वर्ष	अनुबंध का ववरण		
	गठित अनुबन्धो की संख्या	अनुबंध की संख्या जिनके द्वारा कार्य जुलाई 2017 तक पूर्ण जाने थे	वास्त वक रूप से पूर्ण कए अनुबन्धो की संख्या एवं वास्त वक स्थिति
2013-14	**14**	**14**	**10**
2014-15	**10**	**10**	**04**
2015-16	**17**	**17**	**06**
2016-17	**22**	**10**	**03**
2017-18	**08**	**03**	**02**
कुल	71	54	**25**

इस संबंध में पूछे जाने पर वृत द्वारा अवगत कराया गया क जुलाई 2017 के पूर्व पूर्ण कए जाने वाले 71 में से 54 कार्य के सापेक्ष केवल 25 अनुबन्ध के द्वारा ही कार्य पूर्ण कराया जा सका है और शेष पर कार्य व भन्न कारणो से देरी से गतिमान है। वृत द्वारा प्रतिउत्तर में भी बताया गया है क कुल 46 कार्य अपूर्ण है।

अतः कार्य सम्पादन में हुए देरी के प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	अनिस्तारित प्रस्तर	
	भाग-2अ	भाग-2ब
07/1990-91	शून्य	**1,2,3**
29/1992-93	शून्य	**1**
71/1995-96	शून्य	**1**
16/2000-01	शून्य	**2**
10/2004-05	शून्य	**1 (A), (B)**
28/2012-13	**1,2**	शून्य
14/2015-16	शून्य	**1**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

वृत के उत्तर के अनुसार, संस्तुति प्राप्त कर आख्या लेखा परीक्षा को प्रस्तुत कर दी जाएगी।

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य :- शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधीक्षण अ भयन्ता 12वां वृत लोक निर्माण वभाग, पौड़ी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताऐः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अधीक्षण अ भयन्ताओ कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	पदाव ध
	श्री राजेश चन्द्र शर्मा	अधीक्षण अ भयन्ता	30.01.2012 से 10.08.2015 तक
	श्री मुलायम संह	अधीक्षण अ भयन्ता	10.08.2015 से 22.06.2016 तक
	श्री बी एल चौधरी	अधीक्षण अ भयन्ता	22.06.2016 से 06.07.2017 तक
	श्री ओम प्रकाश	अधीक्षण अ भयन्ता	06.07.2017 से अबतक

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

लागू नहीं

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति मुख्य अ भयन्ता (स्तर-1), लोक निर्माण वभाग, पौड़ी को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा)उत्तराखंड, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अ धकारी

वाह्य लेखा परीक्षा दल संख्या -4